न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 120/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– चैनाराम पुत्र रिडमलराम कौम विश्नाई निवासी सदराम की बेरी, तहसील सेडवा जिला बाडमेर 2– लिछमणराम पुत्र रिडमलराम कौम विश्नोई निवासी सदराम की बेरी, तहसील सेडवा जिला बाडमेर		1– तहसीलदार सेडवा जिला बाडमेर 2– फातमा पत्नी ईशाक 3– मुस्ताक पुत्र ईशाक 4– दीनू पुत्र ईशाक 5– रिजू पुत्र ईशाक 6– अजीम पुत्र नबीबक्श 7– खातू पत्नी नुरा 8– मियादाद वल्द भूरा 9– मका पुत्री गुलहसन कौम मुसलमान निवासी सांवा, तहसील सेडवा जिला बाडमेर 10–शाखा प्रबंधक, एस.बी.बी.जे. सेडवा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–3–2017 जो सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा प्रकरण संख्या 100/2017 अनवान तहसीलदार सेडवा बनाम चैनाराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री महेश मेहता अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुत तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 11–07–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार सेडवा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 59, 60, 66, 86 भू अभिलेख नियम 1970 का इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सांवा मे चालु सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये परंतु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबंदी एवं नक्शे मे अंकन नही है जिनका राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04/दिनांक 10–8–2016 के अनुसरण मे उक्त आवागमन के रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाने का प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी चौहटन के समक्ष प्रस्तुत किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–3–2017 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1, तहसीलदार सेडवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मौजा सांवा मे स्थित खसरा नंबर 387, 392 मे से चल रहे रास्ते की भूमि परिशिष्ट अ मे वर्णित अनुसार रास्ते की तरमीम करने का आदेश पारित कर दिया तथा उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते मे दर्ज रहेगा । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश दिनांक 31–3–2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । अन्य रेस्पो0 संख्या 2 से 10 बावजुद तामिल के अनुपस्थित । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार एवं पटवारी हल्का ने व्यक्ति विशेष खसरा नंबर 824/386 के खातेदार को फायदा पंहुचाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तथा यह भी कथन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ ऐसी कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नही की जिससे यह साबित हो कि रास्ता सार्वजनिक उपयोग मे आ रहा है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय से जारी नोटिस पर अप्रार्थी अब्दुला पुत्र ईशाक के फौत होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये बिना ही एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि यदि खसरा नंबर 824/386 के खातेदार को रास्ते की जमीन की आवश्यकता थी तो उसे विधि अनुसार धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करनी चाहिये थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानो के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31-3-2017 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31-3-2017 को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार फलोदी ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्ते जो खातेदारी खेतो की भूमि मे से मौके पर चालू है तथा आमजंन के उपयोग मे आं रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर, राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय मे उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रेषित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 11-3-2022 को पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सेडवा के प्रार्थना पत्र पर मात्र दो पेशियों मे एकतरफा आदेश पारित किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानो की पूर्णतः पालना नही

की जाना परिलिक्षत होता है । ऐसे मे अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–3–2017 के क्रम मे प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर तामिली पश्चात उनकी उपस्थिति मे नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किया जावें । वक्त मौका निरीक्षण संबंधित पक्षकारो/हितबद्ध लोगो की उपस्थिति मे मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा भी तैयार किया जावे । इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय उक्तानुसार तैयार मौका रिपोर्ट व मौका नक्शा तथा अपीलांट/हितबद्ध पक्षकारो की सुनवाई पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें । उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11–07–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर